(ii) दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलोर

प्रोफेसर (श्रीमती) एम.एस. गोमती अम्मल, 150, चैत्रा गांधी नगर, तिरुवनंतपुरम, केरल।

(iii) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल

डाक्टर (सु.श्री) हेमलता एन. परसनीस, प्रोफेसर तथा संकायाध्यक्ष, तथा संकाय, एस.एनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई।

(iv) पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर

सुश्री सुप्रा चैटर्जी, विक्रमशिला एजूकेशन रिसोर्स सोसायटी, 77, हाराधन दैगोर रोड, नारकेलडांगा, कोलकाता-700031

1. प्रोफेसर यू. के. शर्मा, प्रोफेसर (श्रीमती) एम.एस. गोमती अम्मल तथा डा. हेमलता एन. परसनीस की सदस्यता क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय समितियों से इस कारण रद्द की जाती है क्योंकि वे भारत के राजपत्र में 24.02.1996 को प्रकाशित राजशिप के दिनांक 26.12.1995 विज्ञप्ति संख्या फा. 28-4/95-राजशिप के खंड 3(च) के साथ पठित यूजीसी अधिनियम 1993 के खंड 20(3) के अधीन यथाअपेक्षित परिषद् सदस्य नहीं हैं।

वी.सी. तिवारी
सदस्य सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 नवम्बर 2005

सं. एफ-27/12/2004-डेस्क (यू) दि.:--निम्नलिखित संविधि निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

1. स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन के कार्य।

2. विभाग प्रमुख के दायित्व।

3. मानद् प्रोफेसर व अवकाश प्राप्त प्रोफेसर की सेवा शर्तें।

4. परिरक्षक एवम् मॉडरेटर की नियुक्ति।

मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 (1997 की सं. 2) के अनुसार ये नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवम् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

नियम

स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन के कार्य

[एक्ट एस 27 (1) (क्यु) व संविधि 7 (3)]

विश्व विद्यालय के नियम 27 (1) (क्यु) व संविधि 7 (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद की अनुशंसा के अनुसार, विश्वविद्यालय स्कूलस् के डीन के सम्बन्ध निम्न लिखित संविधि निर्माण करती है।

1. स्कूलस् के डीन उस स्कूल के प्रमुख होंगे और स्कूलस में शिक्षण व शोध कार्य कराने में शिक्षण एवम् शोध के प्रतिमान बनाए रखेंगे। वह स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष व संयोजन होंगे।

2. डीन की निम्नलिखित शक्तियां व कार्य होंगे:--

(a) विभाग एवम् केन्द्र प्रमुख के जरिए स्कूल के शिक्षण एवम् शोध कार्य संयोजन व सामान्य निरीक्षण कराना।

(b) जहां कही आवश्यक हो अंतर विभाग शिक्षण एवम् शोध को बढ़ावा देने के कदम उठाना।

(c) जहां कहीं विहित किया गया हो छात्रों की संत्रीय कार्य के मूल्यांकन एवम् लेक्चर, ट्यूटोरियल/सेमिनार व प्रयोगिक कक्षाओं में उपस्थिति का रिकार्ड रखना।

(d) अकादमिक परिषद के बोर्ड ऑफ स्कूल के निर्देशों के अनुसार स्कूल के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराना।

(e) स्कूलस के निर्णयों एवम् अनुशंसाओं को कार्य रूप देने हेतु कदम उठाना।

(f) अन्य कोई कर्त्तव्य का निर्वाह जो अकादमिक परिषद् कार्यकारी परिषद् या उपकुलपति द्वारा किया गया हो।

विभाग प्रमुख के कर्त्तव्य

[अधिनियम एस. 27 (1) (क्यू) नियम 8 (5)]

विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुभाग 27 (1) (क्यू) की संविधि 8 (5) के अधीन अधिकारों के तहत, कार्यकारी परिषद् जैसा एकादमिक परिषद् ने संविधि अनुसंशित की है। विश्वविद्यालय के विभाग प्रमुख के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम का निर्माण करती है।

विभाग या केन्द्र का प्रमुख डीन की देखरेख में विभाग/केन्द्र की बैठक का आयोजन करेगा एवम् उसकी अध्यक्षता करेगा।

अ. विभाग/केन्द्र के शिक्षण व शोध कार्यों का आयोजन करेगा।

ब. विभाग या केन्द्र द्वारा नियम शिक्षण कार्य को बांटने के परिणाम स्वरूप टाइम टेबल बनाएगा।

स. शिक्षकों के माध्यम से कक्षा एवम् प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाए रखेगा।

द. विभाग/केन्द्र के उपयुक्त क्रियाकलाप हेतु शिक्षकों के कर्त्तव्य निर्धारित करेगा व विभाग/केन्द्र के गैर शैक्षिक कर्मचारियों के कार्यों को निर्धारित करेगा व उन पर नियंत्रण रखेगा। एवम्

ह. ऐसा कोई भी कार्य करेगा जो उसे सम्बन्धित बोर्ड आफ स्कूल के डीन, अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद या उपकुलपति द्वारा करने को कहा गया हो।

मानद् प्रोफेसर व अवकाश प्राप्त प्रोफेसर की नियुक्ति की शर्तें

[अधिनियम एस 5 (XV), 27 (1) (q)]

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुभाग 27 (1) (q) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अधीन, अकादमिक परिषद द्वारा अनुशंसाओं पर कार्यकारी

मानद् प्रोफेसर वा अवकाश प्राप्त प्रोफेसर की नियुक्ति की सेवा शर्तें ी निम्नलिखित नियम का निर्माण करती है।

नद् प्रोफेसर

एक ऐसा स्कालर जो या तो सेवा में हो या सेवा निवृत्ति पर, डीन ऑफ स्कूलस या उपकुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद् द्वारा मानद् प्रोफेसर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है।

नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी।

मानद् प्रोफेसर को कोई वेतन या मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा, हर दशा में उन्हें स्थानीय सत्कार व यात्रा खर्च उनके निवास स्थान से विश्वविद्यालय तक का देय होगा, जब कभी पुन: वह भी उन्हें व्याख्यान देने हेतु या किसी अन्य अकादमिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु विश्वविद्यालय आना हो।

वकाश प्राप्त प्रोफेसर

एक प्रोफेसर जो विश्व विद्यालय से सेवा निवृत्त हो चुका हो, कार्यकारी परिषद् द्वारा उसकी शिक्षण/शोध कार्य को जारी रखने हेतु सेवा निवृत्ति पश्चात् अवकाश प्राप्त प्रोफेसर (अमीरेट प्रोफेसर) के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

नियुक्ति तीन वर्षों के लिये होगी व नवीनीकरण भी हो सकेगा।

अवकाश प्राप्त प्रोफेसर को कोई वेतन या मानदेय देय नहीं होगा।

उसे, उसके कार्यकाल के दौरान उसके शिक्षण एवम् शोध कार्य चलाने हेतु कार्यालय स्थल एवम् अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे।

परीक्षकों एवम् मारडरेटर्स की नियुक्ति

[अधिनियम एस 27 (g), नियम 13 (2) (xiii)]

विश्वविद्यालय के अनुभाग 27 (g) के नियम 13 (2) (xiii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन, कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद के प्रस्ताव पर निम्नलिखित परीक्षकों एवम् माडरेटों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों का निर्माण करती है।

1. समस्त परीक्षाओं के परीक्षकों एवम् माडरेटों की सूची, पी.एच.डी. उपाधि को छोड़कर जो सम्बन्धित विभाग के बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा बनाई जाएगी व सम्बन्धी स्कूल आफ स्टडीज को प्रस्तुत की जाएगी। सम्बन्धित स्कूल आफ स्टडीज सूची को जांचकर, अकादमिक परिषद् की सलाह से कार्यकारी परिषद की स्वीकृति हेतु इसको अग्रेषित करेगा।
2. पी.एच.डी. उपाधि के परीक्षकों की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा, सम्बन्धित बोर्ड ऑफ स्टडीज की अनुशंसा पर अकादमिक परिषद की राय से करेगी।
3. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषयों के प्रश्न पत्रों का माडरेशन जो विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हो, निम्न सदस्यों की समिति करेगी।

अ. सम्बन्धित विभाग के प्रमुख एवम्

इ. उपकुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त कोई दो व्यक्तियों से अधिक व एक व्यक्ति से कम न हो।

बशर्ते माडरेटर्स में से एक सम्बन्धित परीक्षा का परीक्षक हो सकेगा जो विश्व विद्यालय में शिक्षण कार्य में नहीं लगाया गया हो।

4. प्रश्न पत्र नियमों के अनुसार माडरेट होंगे।

9. अ. बाहरी परीक्षकों को फीस की दरे एवं शर्तें नीचे दिए अनुसार होगी

परीक्षा का नाम	मूल पेपर जांचने हेतु/ प्रति पेपर	एक उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु Rs/प्रति उत्तर पुस्तिका	सामीक्षा कार्य जांचने हेतु प्रति पुस्तिका	उत्तर पुस्तिका की मेपिंग प्रति पुस्तिका	मार्डरेशन प्रति पुस्तिका	मौखिक परीक्षण हेतु प्रति छात्र/	स्कूलिंग
स्नातक	Rs 200	Rs 7	Rs4	Rs0.20 n.p..	Rs15/-	-	-
स्नातकोत्तर (व्यावसायिक पाठ्यक्रम को छोड़कर)	Rs200	Rs8	Rs5	Rs0.20 n.p	Rs 20	2.50	Rs50/-
मुख्य पर्यवेक्षक के पुरस्कार			प्रति छात्र 100 उत्तरों एवम् 10 प्रतिशत के आनुपातिक आधार पर 8 उत्तरों प्रति उत्तर पुस्तिका			-	-
मौखिक या वैवा वोसी			Rs 0.25 n.p. प्रति उत्तर पुस्तिका				
व्यावसायिक हेतु			Rs 100 उत्तरों प्रतिदिन				
एम. फिल.			दो से छह आकलन 300 उत्तरों			75 उत्तरों	
पी.एच. डी.			500 उत्तरों			150 उत्तरों	

ब. यदि एक उत्तर पुस्तिका क होगा जो कालम

स. जब कहीं गई हो तो प्रत्येक देय होगा।

द. किसी वि परीक्षकों द्वारा उ एक दूसरे से अ का कालम II व उत्तर पुस्तिका ज

भुगतान की संबंधित विषय

ब. यदि एक परीक्षा बोर्ड एक प्रश्न पत्रों का सेट तैयार करता है एवम् उत्तर पुस्तिका का आकलन करता है तो प्रत्येक परीक्षक को पूरा भुगतान देय होगा जो कालम II व III में विहित है।

स. जब कहीं एक उत्तर पुस्तिका दो परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से जांची गई हो तो प्रत्येक परीक्षक को उपरोक्त कालम III में निर्धारित पूरा मानदेय देय होगा।

द. किसी विषय में यदि प्रश्न पत्र दो अलग-अलग भागों में दो बाहरी परीक्षकों द्वारा अलग-अलग बनाया गया हो तो उसकी उत्तर पुस्तिकाएं भी एक दूसरे से अलग-अलग स्वतंत्र रूप से जांची गई हो तो प्रत्येक परीक्षक का कालम II व III में विहित दरों का 3/5 प्रत्येक को प्रश्न पत्र बनाने एवम् उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु देय होगा।

भुगतान की दरें II में विहित दरों से कम से कम प्रश्न पत्रा बनाने हेतु संबंधित विषय की परीक्षा की आधी दर से कम नहीं होगी।

फ. यदि माडरेशन समिति द्वारा आधे से अधिक प्रश्न पत्र को बदल दिया जाता है तो उपकुलपति, समिति के संचालन के अनुशंसा पर, कोई भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी कर सकेगा।

ज. यदि दो या दो अधिक परीक्षक मौखिक परीक्षा का संचालन करते हैं तो उनका भुगतान दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा।

ह. जब तक की कुलसचिव को अंक तालिका, उत्तर पुस्तिकाएं, परीक्षकों की रिपोर्ट या अन्य कोई ऐसा प्रपत्र जो वांछित हो नहीं मिल जाता, भुगतान नहीं हो सकेगा।

ई. ह. में विहित सभी कागजात बाहरी परीक्षक द्वारा एक नियत तिथि तक जमा नहीं करता तो उसके देय भुगतान को प्रथम सात दिनों तक 5 रुपये प्रतिदिन की दर से कम कर दिया जाएगा व दस रुपये प्रतिदिन उसके पश्चात्। यदि उपकुलपति विलम्ब के बारे में परीक्षक के नियंत्रण से परे कारणों से संतुष्ट नहीं हो जाता।

ऊ. परीक्षकों को देय भुगतान समय-समय पर पुनः निर्धारित किये जा सकेंगे।

IndiaCode

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110 001, the 21st November 2006

No. F.27-12/2004-Desk(U)—'NO OBJECTION' to the framing of the following Ordinances :—

1. Functions of Deans of Schools of Studies
2. Duties of Heads of Department
3. Terms and Conditions of Appointment of Honorary Professors and Emeritus Professors
4. Appointment of Examiners and Moderators

In terms of Section 43 of Maulana Azad National Urdu University Act, 1996 (No. 2 of 1997) these Ordinances are to be published in the Official Gazette and also to be laid before each house of the Parliament.

ORDINANCE

FUNCTIONS OF DEANS OF SCHOOLS OF STUDIES

[Act S. 27(1)(q) Statute-7(3)]

In exercise of the powers vested in Section 27(1)(q) & Statute 7(3) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding Deans of Schools of the University.

1. The Dean of a School shall be the Head of the School and shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the School. He shall be the Chairman and Convener of the Board of the School.
2. The Dean shall have the following powers and functions :—
 (a) To co-ordinate and generally supervise the teaching and research work in the School through the Head of Departments/Centres;
 (b) To take steps to promote inter-disciplinary teaching and research, wherever necessary;
 (c) To keep a record of the evaluation of sessional work and of the attendance of the students at lectures, tutorials, seminars or practicals wherever these are prescribed;
 (d) To arrange for the examination of the University in respect of the students of the School in accordance with such directions as may be given by the Board of Schools of studies of the Academic Council
 (e) To take steps to give affect to the decision and recommendations of the School; and
 (f) [illegible] duties as may be assigned [illegible] Council, Executive Council or [illegible]

DUTIES OF HEADS OF DEPARTMENT

[Act S. 27(1)(q) Statute-8(5)]

In exercise of the powers vested in Section 27(1)(q) & Statute 8(5) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding Heads of Department of the University.

The Head of a Department/Centre shall convene and preside over meetings of the Department/Centre, and shall under the general supervision of the Dean :—

a. organize the teaching and research work in the department/centre;
b. frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department/Centre;
c. maintain discipline in the class rooms and laboratories through teachers;
d. assign to the teachers in the Department/Centre such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department or Centre; and assign work to and exercise control over the non-teaching staff in the Department/Centre; and
e. perform such other functions as may be assigned to him by the Dean, the Board of the School concerned, the Academic Council, the Executive Council and the Vice Chancellor.

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF HONORARY PROFESSORS AND EMERITUS PROFESSORS

[Act S. 5(xv), 27(1)(q)]

In exercise of the powers vested in Section 27(1)(q) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding terms and conditions of appointment of honorary Professors and Emeritus Professors of the University.

HONORARY PROFESSOR :—

1. A distinguished scholar who is either in active service or on superannuation may be considered for appointment as Honorary Professor by the Executive Council on the recommendation of the Dean of the School or Vice-Chancellor.
2. The duration of appointment shall be 3 years.
3. Honorary Professors will not be paid any salary or remuneration. However, he/she will be provided local hospitality and travel expenses from the place of his/her residence to the University and back whenever he/she visits the University for delivering lectures and for participating in any other academic activity of the School.

EMERITUS PROFESSOR :—

1. A Professor who has retired from the University may be invited by the Executive Council to continue his/her research/teaching activities in the University as an Emeritus Professor after his/her superannuation.
2. The duration of appointment shall be 3 years with a provision for renewal.
3. The Emeritus Professor will not be paid any salary or remuneration.
4. He/she will be provided office space and other facilities to carry out his/her research/teaching activities during his/her tenure.

APPOINTMENT OF EXAMINERS AND MODERATORS
[Act S. 27(g) Statute 13(2)(xiii)]

In exercise of the powers vested in Section 27(g) Statute 13(2)(xiii) of the University Act, the Executive Council, on the Ordinance proposed by the Academic Council, hereby makes the following Ordinance regarding appointment of examiners and moderators of the University.

1. The list of the examiners and Moderators for all examinations, except for Ph.D. degree shall be drawn up by the Board of Studies and submitted to the School of Studies concerned. The School of Studies shall scrutinize the list and forward the same to the Executive Council for approval in consultation with the Academic Council.
2. The Examiners for Ph.D. Degree shall be appointed by the Executive Council in consultation with Academic Council on the recommendation of the School Board of the School concerned.
3. The question papers for examination in each subject of studies offered by the University shall be moderated by a committee consisting of :
 a. Head of the Department concerned; and
 b. Not less than one and not more than two other persons appointed by the Vice Chancellor for the purpose.

 Provided that one of the Moderators may be an Examiner in the concerned examination not engaged in teaching in the University.
4. The question papers shall be moderated in accordance with the regulations;
5. a. The external Examiners shall be paid the fees at the rates and conditions specified below :

I	II	III	IV	V	VI	VII	
Name of the Exam	For setting a paper (Rs./paper)	For marking an answer book (Rs./script)	For marking Assignments (Rs./script)	Counting Scripts (Rs./script)	Moderation (Rs./script)	For Viva-Voce	
						Per Candidate	Min.
U.G.	Rs. 200/-	Rs. 7/-	Rs. 4/-	Rs. 0.20 np	Rs. 15/-		
P.G. (including Professional Courses)	Rs. 200/-	Rs. 8/-	Rs. 5/-	Rs. 0.20 np	Rs. 20/-	Rs. 2.50	Rs. 50/-
Payment to the Chief Examiner			Rs. 200/- per session and Rs. 7/- per script for random check of 10% of scripts				
Coding & Decoding			Rs. 0.25 n.p. per script				
Conveyance			Rs. 100/- per day				
M. Phill			For valuing thesis Rs. 300/-			Rs. 75/-	
Ph.D.			Rs. 500/-			Rs. 150/-	

b. If a Board of Examiners sets a question paper and evaluates the answer books, each external examiner shall be paid full remuneration specified in Columns (II), (III) above.

c. When an answer book is examined by two external examiner jointly, each examiner shall be paid the full remuneration as specified in Column (III) above.

d. In respect of a subject in which a question paper is set in two parts separately by two external examiners and the answer books thereof are also evaluated by them independently of each other, the remuneration payable to each examiner for setting the question paper and for evaluation of answer books shall be three-fifth of the rates specified in Column II, III for the paper and evaluation of answer books.

e. If an external examiner examines answer books in respect of the question paper not set by him, he shall be paid for examining answer books at the rates as specified in Column (II) subject to a minimum fee equivalent to half the fee specified therein for setting a question paper for the examination concerned.

f. If more than half of a question paper is change the Committee of Moderators, the Vice Chance may on the recommendation of the Convene the Committee, direct that no remuneration be p for setting the question paper.

g. If two or more external examiners conduct the V Voce, the remuneration shall be divided equ among them.

h. The remuneration shall not be paid to exte examiners until the Registrar has received the Aw Sheets, the Answer Books, the Report of Examiners and such other statements as they m be required to prepare.

i. If the external examiners do not send in th complete document referred to in (h) above by appointed date, the remuneration payable to the may be reduced by an amount calculated at Rs. per day for the first seven days of delay a Rs. 10/- per day thereafter, unless the Vi Chancellor is satisfied that the delay was due cause beyond the control of Examiners.

j. The remuneration payable to the examiners shall as revised by the University from time to time.

Sd/- ILLEGIBL
Registra

सं.भा.3
का 1 0
का अनु
के नाम
कराया
परिष
19
राजप